अवर न्यायाधीश, षष्ठम्, पटना सिटी।

स्वत्व वाद 67 / 1995

21-11-2022 प्रस्तुत अधिकार वाद आज उपस्थापित किया गया। प्रतिवादी सं0–2 एवं 3 की ओर से हाजिरी दी गई। वादी एवं अन्य प्रतिवादी की ओर से कोई हाजिरी–पैरवी नहीं है। वाद पुकार कराया गया। पुकार पर वादी एवं प्रतिवादी बिहार सरकार एवं अन्य प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना, जिसमें वादी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रत्युत्तर दाखिल करना है, इसलिए मुझे एक अवसर प्रदान किया जाय, साथ–ही अन्य प्रतिवादी को निर्देश दिया गया कि प्रतिवादी बिहार सरकार के दाखिल आवेदन के कॉपी को प्राप्त करायें। सुना। अन्य प्रतिवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी बिहार सरकार के दाखिल आवेदन दिनांक–13.09.2022 को प्राप्त करें, ताकि संबंधित आवेदन पर सुनवाई कर आदेश पारित किया जा सके। वास्ते दिनांक–22.11.2022 प्रत्युत्तर कॉपी प्राप्त करने एवं अग्रेत्तर सुनवाई हेतु।

लेखापित

अवर न्यायाधीश, षष्ठम्
पटना सिटी

22-11-2022 प्रस्तुत अधिकार वाद आज उपस्थापित किया गया। वादी की ओर से बजरिये अधिवक्ता हाजिरी दी गई एवं प्रतिवादी सं0–2, 3 एवं बिहार सरकार के तरफ से हाजिरी दी गई। वाद पुकार किया गया, पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं अन्य प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं बिहार सरकार की ओर से न्यायालय में उपस्थिति हुए जिसमें बिहार सरकार के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया जाय। सुना। अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत अधिकार वाद दिन–प्रतिदिन पर चल रहा है। बिहार सरकार की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक–13.09.2022 को प्राप्त किया गया है, जिसका प्रति अन्य प्रतिवादीगण प्राप्त नहीं किए हैं एवं वादी के प्रत्युत्तर के लिए चला आ रहा है। इसलिए वादी को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया जाता है, साथ–ही प्रस्तुत अधिकार वाद के सभी पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि अगली तिथि को पूर्व के आवेदन पर सुनवाई हेतु उपस्थित रहें। वास्ते दिनांक–23.11.2022 प्रत्युत्तर, कॉपी प्राप्त करने एवं अग्रेत्तर सुनवाई हेतु।

लेखापित

अवर न्यायाधीश, षष्ठम्
पटना सिटी